उत्तर रेलवे

कार्यालय मुख्य कारखाना प्रबंधक
जगाधरी वर्कशाप

सं0 1/Med/CMP/Doctors/JUDW/2020 दिनांक 14-10-2020

मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर रेलवे का कार्यालय अतिरिक्त रेलवे अस्पताल उत्तर रेलवे जगाधरी वर्कशाप के लिए अनुबंधित मेडीकल प्रैक्टिशनर की नियुक्ति (वाक इन इंटरव्यू)

विषय:- अतिरिक्त रेलवे अस्पताल उत्तर रेलवे जगाधरी वर्कशाप मे पूर्ण कालिक आधार पर अनुबंध पर कार्य करने हेतु सामान्य कार्य मेडीकल अधिकारी की नियुक्ति के लिये वाक इन इंटरव्यू ।

उत्तर रेलवे के अतिरिक्त रेलवे चिकित्सालय, जगाधरी वर्कशाप में जनरल ड्यूटी मैडिकल अधिकारी की रिक्तियों की भर्ती हेतु अनुबंध आधार पर नियुक्ति के लिए वाक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जायेगा। अनुबंध की अवधि एक वर्ष की रहेगी। अनुबंध अवधि को किसी भी आधार पर विस्तार नही दिया जायेगा। हलांकि रेल प्रशासन के पास यह अधिकार होगा कि वह प्रैक्टिशनर के साथ एक और टर्म के लिये अनुबंध कर सकता है। अनुबंध की अवधि बढाने के लिये रेलवे वाध्य नही होगा तथा अनुबधिंत मेडीकल प्रैक्टिशनर के साथ अनुबंध कभी भी बिना कोई कारण बताये खत्म किया जा सकता है।

12 टर्म पूरा होने / 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद कोई विस्तार नही दिया जायेगा। तथा ऐसे CMP को वाक इन इंटरव्यू मे भाग नही लेने दिया जायेगा, बशर्ते रेलवे बोर्ड के द्वारा कोई संशोधन न जारी किया गया हो। 65 वर्ष तक के सेवानिवृत IRMS चिकित्सा अधिकारी अथवा राज्य या केन्द्र सरकारो के सेवा निवृत चिकित्सा अधिकारियो को एक एक वर्ष की पांच अनुबंध अवधि के लिये नियुक्त किया जा सकता है जोकि 65 वर्ष तक मान्य रहेगा। अनुबंध की अवधि एक वर्ष की होगी। अनुबंध अवधि को किसी भी आधार पर विस्तार नही दिया जायेगा। हलांकि रेल प्रशासन के पास यह अधिकार होगा कि वह प्रैक्टिशनर के साथ एक और टर्म के लिये अनुबंध कर सकता है। अनुबंध की अवधि बढाने के लिये रेलवे वाध्य नही होगा तथा अनुबधिंत मेडीकल प्रैक्टिशनर के साथ अनुबंध कभी भी बिना कोई कारण बताये खत्म किया जा सकता है। 05 टर्म पूरा होने / 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद कोई विस्तार नही दिया जायेगा। तथा ऐसे CMP को वाक इन इंटरव्यू मे भाग नही लेने दिया जायेगा, बशर्ते रेलवे बोर्ड के द्वारा कोई संशोधन न जारी किया गया हो। वर्तमान मे रेलवे के पेनल पर नियुक्त HVS को वाक इन इंटरव्यू मे भाग नही लेने दिया जायेगा।

उम्मीदवारो को यदि आवश्यक हो तो अपने खर्च पर एक दिन रूकने के लिए तैयार रहना चाहिये । उम्मीदवारो को कोई यात्रा भत्ता नही दिया जायेगा।

क्र.सं.	पद का नाम	पूर्ण कालिक अनुबंध चिकित्सा प्रैक्टिशनर (सीएमपी) नियुक्ति
1.	कुल पदों की संख्या	02

2. पदो की संख्या विशेषज्ञता वार

क्र.सं.	स्टेशन	पदों की संख्या
1	अतिरिक्त रेल अस्पताल उत्तर रेलवे जगाधरी वर्कशाप	02 सीएमपी-जनरल

3. पदो की संख्या संवर्ग वार

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की कुल संख्या
1	सी एम पी	02 अनाररक्षित

साक्षात्कार स्थल	दिनांक	समय
अतिरिक्त अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर रेलवे जगाधरी वर्कशाप ।	27-10-2020	9-30 बजे से 12-00 बजे तक

14/X/2020

C:\Documents and Settings\admin\My Documents\Sunil Medical-final.doc

4. पारिश्रमिक

सीएमपी की कोटि	मासिक पारिश्रमिक (रू0)
जीडीएमओ	75000/-

कृपया नोट करें

1. सेवानिवृत IRMS चिकित्सा अधिकारी अथवा राज्य या केन्द्र सरकारो के सेवा निवृत चिकित्सा अधिकारियो जो CMP पद के लिए वाक इन इंटरव्यू के लिए आते है उन्हें निश्चित पारिश्रमिक रूपये 46000/- प्रतिमाह देय होगा। बेशर्ते उनकी पारिश्रमिक तथा पैंशन का कुल योग, उनके द्वारा सरकारी सेवा के अन्त मे पे से ज्यादा ना हो। रेलवे बोर्ड के सभी नियम एवं शर्तो के साथ कृपया रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2008/E(GR)-II/1/1 दिनांक 16.07.2012 और पत्र संख्या 2008/E(GR)-II/1/15 दिनांक 20.05.2014 का अवलोकन करें।

5. नियुक्ति की प्रकृति

क. नियुक्ति पूर्णतया एक वर्ष के लिए या जब तक UPSC से नियमित चयनित डाक्टर (ADMO/DMO/Sr.DMO/ACMS) उपलब्ध नहीं होते हैं, इनमें से जो भी पहले हो, तक अनुबंध आधार पर रहेगी। प्रशासन को अधिकार होगा कि एक वर्ष से पूर्व भी इन डाक्टरो की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। अनुबंध आधार पर डाक्टरों की सेवाएं पूर्णत एक अस्थायी व्यवस्था है तथा यदि इनमें से कोई डाक्टर UPSC के माध्यम से नियमित चयनित होते हैं तो उनकी अनुबंध अवधि को किसी भी अवस्था में नियमित नहीं माना जायेगा। अनुबंध आधार पर नियुक्ति से किसी भी परिस्थिति में उन्हें स्वतः नियमित/समायोजन का कोई अधिकार नही मिलेगा ।

ख अनुबंध में आने से पहले CMP की मेडीकल जांच होगी।

ग. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 961-E/(GR)-2 दिनांक 23.02.2000 जिसमे समय समय पर संशोधन किया गया है, CMP को मान्य होगा। और पत्र संख्या 2008/E(GR)-II/1/15 दिनांक 20.05.2014 का अवलोकन करें।

घ 02 CMP के चयन के बाद बाकि बचे CMP जिन्होने वाक इन इन्टरव्यू मे भाग लिया हो। उनको एक प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा और भविष्य में यदि कोई रिक्ति उत्पन्न होती है। उसे इन उम्मीदवारों से भरा जायेगा।

6. अन्य सुविधायें

क. रेलवे बोर्ड के विद्यमान नियमों के अनुसार CMP तथा परिवार के लिए एक सैट प्रथम श्रेणी सुविधा पास जारी किया जायेगा यदि वह लगातार तीन माह की सेवाये देता है। (सेवानिवृत रेलवे डाक्टरों को यह सुविधा देय नही होगी)।

ख. पूर्ण कालिक CMP को अनफर्निशड आवास यदि उपलब्ध होगा, दिया जायेगा एवं मकान किराये भत्ता एवं License fee, CMP के मासिक पारिश्रमिक से नियमानुसार कटेगा।

ग. CMP केवल स्वंय के लिए मुफ्त चिकित्सा (अनुबन्ध अवधि के दौरान) ले सकते है केवल उन operation को छोडकर जो IRMM - 2000 के पैरा 622 (8) के अर्न्तगत विशेष कोटि में आते है एवं जो सामान्यता सुपर स्पैशिलिटि सेन्टर मे उपलब्ध होते है ।

7. योग्यता

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MBBS हो तथा एक वर्ष की आवश्यक रोटेटरी इंटर्नशिप पूर्ण करी होनी चाहिये तथा साथ मे उसने स्टेट मेडीकल या मेडीकल काउंसिल आफ इंडिया से वैद्य पंजीकरण प्रमाण पत्र अवश्य लिया होना चाहिए।

अभ्यार्थी, जो उपर्युक्त नियम एवं शर्तो को पूरा करते हैं तथा अपेक्षित योग्यता रखते हैं, अपने मूल जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जाति (आरक्षित कोटि से संबंध अभ्यार्थियों के मामले में) तथा मैडिकल काउंसिल के पंजीकरण प्रमाणपत्रों सहित एवं स्वप्रमाणित दो सैट छायाप्रति सभी दस्तावेजों की एवं छः पासपोर्ट फोटोग्राफों आदि, आई डी प्रूफ के साथ लेकर नियत तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित हों ।

8. **आयु**

क) 01.10.2020 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (SC/ST के मामले में पांच वर्ष तथा OBC के मामले में 3 वर्ष की छूट है।

ख) सेवानिवृत IRMS अधिकारियों/सेवानिवृत राज्य एवं केन्द्र सरकार के चिकित्सा अधिकारियों की आयु 01.10.2020 को 61 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

ग) उम्मीदवार जो उपरलिखित नियम व शर्तो को पूर्ण करते हो एवं आवश्यक योग्यता रखते हो उन्हें नियत तारीख, समय व स्थान पर अपने मूल दस्तावेजो के साथ (साथ मे एक स्वंय सत्यापित फोटो कापी सभी दस्तावेजो की), जन्म तिथि प्रमाण पत्र, Educational Qualification , Degree एवं Mark Sheet) आवश्यक रोटेटरी इंटर्नशिप, अनुभव (यदि कोई हो), जाति प्रमाण पत्र (केवल उन उम्मीदवारो के लिये जो reserve community के हो), मेडीकल काऊंसिल आफ इंडिया या स्टेट मेडीकल काऊंसिल के साथ पंजीकरण तथा 06 पासपोर्ट फोटो ग्राफ तथा आई डी प्रुफ के साथ उपस्थित हो।

उम्मीदवारो को सलंग्न प्रोफार्मा भरकर इस कार्यालय को email.id dcpojudw@gmail.com पर या whatapp No. 8708461343 पर दिनांक 25.10.2020 तक भेज सकते है या सीधे साक्षात्कार हेतु अपने वांछित दस्तोवेज सहित दिनांक 27.10.2020 साक्षात्कार स्थल अतिरिक्त अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर रेलवे जगाधरी वर्कशाप पर उपस्थित हो सकते है।

9. **अनुबंध की समाप्ति**

अनुबंध अवधि के दौरान कोई भी पक्ष (मैडिकल प्रैक्टिशनर या रेलवे प्रशासन) अनुबंध समाप्त करने के लिए 15 दिनों के पूर्व नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त कर सकता है। यदि मैडिकल प्रैक्टिशनर शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अशक्त पाया जाता है तो उसका पाया जाता है तो उसका अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा। किन्तु यदि CMP अपनी सेवाये बिना किसी नोटिस या 15 दिन की नोटिस के पूर्ण होने से पहले अपनी सेवाये छोड देता है तो नियमानुसार उसे उस अवधि की prevailing rate के अनुसार करना होगा।

कृपया N.Rly. Web site www.pdusjudw.in देखे।

सलंग्न/प्रोफार्मा

14/X/020

कृते मुख्य कारखाना प्रबन्धक
उत्तर रेलवे, जगाधरी वर्कशाप
14/10/2020

अतिरिक्त रेलवे अस्पताल उत्तर रेलवे जगाधरी वर्कशाप में पूर्ण कालिक आधार पर अनुबंध पर कार्य करने हेतु सामान्य कार्य मेडीकल अधिकारी की नियुक्ति के लिये वाक इन इंटरव्यू प्रोफार्मा ।

सं0 1/Med/CMP/Doctors/JUDW/2020 दिनांक 14-10-2020

आवेदन पत्र का प्रारूप

सीएमपी - (जीडीएमओ की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र)

अतिरिक्त रेल चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे, जगाधरी वर्कशाप- 135002 जिला यमुना नगर हरियाणा राज्य		यहां पर नवीनतम पासपोर्ट आकार का स्वयं हस्ताक्षरित और राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित फोटो चिपकाये।

1.	आवेदक का नाम (बडे अक्षरो में)	
2.	पिता/पति का नाम	
3.	पता क. स्थायी ख. वर्तमान ग. टेलिफोन नं0 घ. ई-मेल आई डी	
4.	जन्म तिथि (अक्षरो में/शब्दो में)	
5.	राष्ट्रीयता/धर्म	
6.	शैक्षिक योग्यता- संस्थान/विश्वविद्यालय के नाम सहित तथा पास करने का वर्ष, प्राप्तांको का प्रतिशत	एमबीबीएस एमडी/डीएनबी
7.	श्रेणी (एससी/एसटी/ओबीसी /सामान्य वर्ग)	
8.	स्नातक/स्नाकोत्तर के बाद अनुभव	
9.	चिकित्सा पंजीकरण संख्या	
10.	क्या कभी आपने रेलवे मेंकार्य किया है	
11.	MCI/DCI/SD रजिस्ट्रेशन नं0	

घोषणा

मैं एतत के द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस आवेदन मे उर्युक्त सभी विवरण सत्य, पूर्ण तथा मेरी जानकारी में सही है मै जानता हूँ कि यदि यहाँ मेरे द्वारा दिया गया कोई भी विवरण या सूचना असत्य या गलत पाये जाते है तो मेरी सेवाएं तत्काल समाप्ति के योग्य होगी तथा मेरे विरूद्ध कानूनी तौर पर सिविल या क्रिमिनल कार्रवाई की जा सकती है।

मैं एतत के द्वारा यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मेरा चयन होने पर यदि मैं साक्षात्कार के 15 दिनों के अंदर अंदर ज्वाईन नही करता तो रेलवे को यह अधिकारी होगा कि भविष्य मे भारतीय रेलवे मे किसी अन्य नियुक्ति के मामले मे मेरी अभ्यर्थना पर विचार न करें।

मुझे जानकारी है कि इस साक्षात्कार के लिये मै किसी टीए/डीए का हकदार नहीं हूँ।

स्थान ____________________ **अभ्यार्थी के पूर्ण हस्ताक्षर**

दिनांक ____________________

C:\Documents and Settings\admin\My Documents\Sunil Medical-final.doc